ब न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद संख्या 10/2021
धारा 144 दं0प्र0सं0

रेहाना खातुन
–बनाम–
सलीम अंसारी वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

प्रथम पक्ष के आवेदन पर दिनांक 21.01.2021 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग की गई एवं थाना प्रभारी, बरही से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उभय पक्षो से कारण पृच्छा प्राप्त है।

विवादित भूमि का विवरण निम्न है।

मौजा– कोनरा, थाना– बरही, जिला–हजारीबाग

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहदी
29	279	20 डी0	उ0–परती कदीम द0–स्व0 मो0 सलीम पू0– प्लॉट नं0 505 वा रास्ता प0– बंशी साव

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं कारण पृच्छा में कहा है कि खाता नं0 29 प्लॉट नं0 279 रकवा 20 डी0 जिसका चौहद्दी ऊपर वर्णित है। रजिस्ट्री केवाला संख्या 646/640 दिनांक 28.02.2019 से क्रय कर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। जिसपर विपक्षीगण बाजबरन बुनियाद खोदकर हड़पना चाहते है। यह भूमि सलमा खातुन पति अब्दुल रज्जाक की खुद की खरीदगी जमीन है जिसे उन्होने डीड नं0 5302 दिनांक 16.05.1995 के द्वारा खरीदा है। सलमा खातुन ने अपने जीवनकाल में यह भूमि अपने पति अब्दुल रज्जाक को विल डीड के माध्यम से दिनांक 12.10.2010 में भूमि हस्तातरित कर दिया और अपने पति को Executor नियुक्त किया प्रश्नगत भूमि पर अब्दुल रज्जाक का दखल कब्जा रहा अब्दुल रज्जाक ने यह भूमि रेहाना खातुन (दुसरी पत्नी) को विक्रय कर दिया तब से रेहाना खातुन का उक्त भूमि पर दखल कब्जा रहा।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया है।

1. केवाला संख्या 640 दिनांक 28.02.2019
2. सलमा खातुन का मृत्यु प्रमाण पत्र
3. Deed of will dated 12.10.2006
4. केवाला दिनांक 16.05.1995 एवं रसीद दिनांक 05.06.1996, 25.09.2015

द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में कहा है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 का उनके द्वारा हासिल पंजीकृत बिक्री पत्र तथा केवालाधारी की मृत्यु के पश्चात वैध उतराधिकारी के तौर पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। जिस पर प्रथम पक्ष का दावा सरासर गलत है। यह भूमि सलमा खातुन पति अब्दुल रज्जाक के द्वारा बजरिये केवाला दिनांक 10.05.1995 को हासील है। सलमा खातुन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मो0 रिजवान फिरदोस, मो0 इरफान तथा मो सहबान दखलकार हुए जो कि इस वाद में विपक्षीगण 2, 3 एवं 4 है। उपरोक्त तीनों उत्तराधिकारी आपस में उक्त जमीन का घरेलू बंटवारा कर अपने हिस्से 6.67 डी0 पर काबिज है। जिसमें द्वितीय पक्ष सदस्य सं0 02 मो0 रिजवान ने अपने हिस्से की जमीन को 19.05.2018 को रिजवान के पास केवाला के द्वारा बिक्री कर दिया जिसका दाखिल खारिज अंचल अधिकारी द्वारा स्वीकृत होकर रसीद भी निर्गत है। मो0 सहबान ने भी अपने हक एवं हिस्से की भूमि 17.02.2020 को मो0 खाजानुर के पास केवाला के द्वारा बिक्री किया। सभी क्रेता अपने–अपने खरीद की गई जमीन पर घर मकान बना चुके है एवं शांतिपूर्ण दखल में है। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात दाखिल नही किया है।

Naya
22/3/21

उभय पक्षो द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, कागजातो के अवलोकन एवं विज्ञ अधिवक्ता का सुनने के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सलमा खातुन की खरीदगी जमीन है। जिस सलमा खातुन ने अपने जीवनकाल में अपने पति अब्दुल रज्जाक को Deed of Will के माध्यम से Transfer कर दिया बाद में अब्दुल रज्जाक ने अपनी दूसरी पत्नी रेहाना खातुन (प्रथम पक्ष को केवाला संख्या 640 दिनांक 28.02.2019 को विक्रय कर दिया। विपक्षीगण वैध उराधिकारी के तौर पर उक्त जमीन पर दावा कर रहे है। विपक्षीगण मो0 रिजवान एवं सहबान ने अपने हिस्से की जमीन को बिक्रय कर दिया एवं क्रेतागण अपनी खरीदगी जमीन पर घर मकान बना चुके है।

अतः यह मामला हक हकीयत एवं स्वत्व का है। जिसका निपटारा इस न्यायालय से सभंव नहीं है। पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Naiq 22/3/21

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Naiq 22/3/21

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:06:14 +05:30
Location: 192.168.101.22